दिनांक–23.12.2025 को माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में पूर्णियाँ प्रक्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई विभागीय कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:– पंजी अनुसार।

- सर्वप्रथम सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना द्वारा माननीय विभागीय मंत्री की अनुमति से बैठक प्रारंभ की गई तथा सभी पदाधिकारियों को अपना परिचय देने हेतु निदेशित किया गया। तत्पश्चात् मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूर्णियाँ प्रक्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में अवगत कराया गया तथा निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी।

1. निविदा निष्पादन (PHED LEFT OUT)की समीक्षा:–

- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र द्वारा बताया गया कि प्रक्षेत्र अंतर्गत PHED द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजनाओं के छूटे हुए टोलों में जलापूर्ति हेतु 173 अदद् ग्रुपों की निविदा में 166 अदद् ग्रुपों की निविदा का निस्तारण कर दिया गया है, शेष 3 अदद् ग्रुपों की निविदा का Re-tender किया गया है एवं 4 अद्द ग्रुपों की निविदा विभिन्न स्तरों पर Financial Bid के कारण लंबित है। समीक्षोपरांत निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र लंबित सभी निविदाओं का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता।

2. विद्युत विपत्रों के भुगतान की समीक्षा:–

- समीक्षा के क्रम में संज्ञान में लाया गया कि विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु प्रतिवेदित बकाया राशि के संयुक्त सत्यापनोपरांत संवेदकों/एजेंसियों के विरूद्ध विद्युत भुगतान लंबे समय से लंबित है। प्रक्षेत्र अंतर्गत लंबित विद्युत विपत्रों के विरूद्ध लगभग 48 प्रतिशत लंबित राशि का भुगतान प्रमंडलों द्वारा कर लिया गया हैं। सभी प्रमंडलों को एक माह का समय देते हुए बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित कराए जाने का निदेश दिया गया। निर्धारित अवधि के अन्दर अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को इसका सतत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए एक माह के अन्दर सभी लंबित बकाये राशि का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–मुख्य अभियंता(यांत्रिक)/ क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता /सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लंबित विद्युत–विपत्र का भुगतान आवंटन के अभाव में नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया कि सभी प्रमंडलों के संवेदको के साथ बैठक करते हुए मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार से समन्वय कर अधियाचित राशि संबंधित प्रमंडल को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–मुख्य अभियंता(यांत्रिक)/ क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता /सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ माननीय मंत्री महोदय द्वारा संवेदकों के स्तर से विद्युत भुगतान में रूचि नहीं लिए जाने हेतु खेद प्रकट किया गया एवं निदेशित किया गया कि जो भी संवेदक अपना विद्युत भुगतान अद्यतन जमा नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध Standard Bidding Document एवं बिहार ठिकेदारी नियमावली के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

साथ ही, निदेश दिया गया कि भविष्य में विभाग द्वारा की जाने वाली निविदाओं में इस आशय को समाहित किया जाय कि वैसे निविदाकार जिनके द्वारा विभागीय जलापूर्ति योजनाओं में पूर्व से लंबित विद्युत विपत्रों का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया हो, को भविष्य में की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा। साथ ही वर्तमान में प्रक्रियाधीन निविदा में यह सुनिश्चित करेंगे कि निविदाकार के पास पूर्व में विभाग में कोई भी विद्युत भुगतान लंबित न हो।

अनुपालनः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ लंबित विद्युत–विपत्रों को ससमय भुगतान कराने वाले अभियंताओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनके द्वारा लंबित भुगतान में लापरवाही बरती जाएगी उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता।

3. CGRC की समीक्षाः–

❖ समीक्षा के क्रम में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि 4331 प्राप्त शिकायतों में से 4228 शिकायतों का निष्पादन कर लिया गया है, जिसमें 111 शिकायतों जो कि Re-open more than one time थे, उनका निराकरण शत–प्रतिशत करा लिया गया है। वर्तमान में 15–30 दिनों एवं 30 दिनों से अधिक अवधि से लंबित शिकायत नहीं है। वर्तमान में कुल 64 मामले लंबित है जो मूलतः सात दिनों के अंदर के है एवं 8–15 दिनों में 8 शिकायत लंबित है। निदेशित किया गया कि प्रतिदिन लंबित मामलों की समीक्षा कर तथा शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

4. चापाकल की स्थितिः–

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निष्क्रिय (Defunct) चापाकलों की संख्या 89 एंव अक्रियाशील चापाकलों की संख्या 96 पाई गई। इस संबंध में निदेशित किया गया कि अगले सात दिनों के अंदर सभी निष्क्रिय (Defunct) चापाकलों को स्थल से हटाते हुए अक्रियाशील चापाकलों को तीन दिनों के अंदर क्रियाशील कराया जाय। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को इसका अनुश्रवण करते हुए ससमय कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

5. लीकेज की स्थितिः–

- समीक्षा के क्रम में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि 60 अदद लीकेज की मरम्मति शेष है। इस संदर्भ में उनके द्वारा बताया गया कि सड़क चौड़ीकरण/नाला निर्माण के क्रम में पाईप क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लीकेज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि इस संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–577, दिनांक–10.03.2021 में कार्य कराये जाने के पूर्व विभिन्न विभागों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) लेने की अनिवार्यता है, एवं कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उन अवयवों की मरम्मति/पुनर्स्थापन संबंधित कार्य संवेदक के द्वारा एवं संवेदक नहीं रहने की स्थिति में विभागीय तौर पर कराने का प्रावधान है। संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, इसका अनुश्रवण करते हुए यह सुनिश्चित करेगें कि कनीय अभियंता, अन्य विभागीय पदाधिकारियों से समन्वय कर इसका अक्षरशः अनुपालन करे।

अनुपालनः–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता।

6. रैंकिंग(EE/AE/JE on MIS & CGRC)

- पूर्णियाँ प्रक्षेत्र के सभी प्रमंडलों से संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की रैकिंग की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार का रैंक (राज्यस्तरीय रैंक–30) प्रक्षेत्र अंतर्गत पदानुक्रम में सबसे नीचे है, इस संबंध में उन्हे कार्य पद्धति में सुधार लाने हेतु निदेशित किया गया। सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल, अररिया पूर्वी का रैंक (राज्यस्तरीय रैंक–102) प्रक्षेत्र अंतर्गत पदानुक्रम सबसे नीचे है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को उक्त अवर प्रमंडल के कार्य पद्वति का एक माह तक अनुश्रवण करते हुए, रैंकिंग में सुधार नहीं होने कि स्थिति में विभाग को उनके विरूद्ध प्रतिवेदित करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता।

7. योजनाओं में WTP की स्थितिः–

❖ प्रक्षेत्र अंतर्गत कुल 21109 अदद् योजनाओं में WTP का अधिष्ठापन किया गया है। इस संदर्भ में निदेशित किया गया कि सभी कार्यपालक अभियंता, अपने क्षेत्रातंर्गत योजनाओं के फिल्टर मीडिया का ससमय प्रतिस्थापन, बैकवॉश सुचारू रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला जल जाँच प्रयोगशाला एवं FTK के माध्यम से जल जाँच कर विभागीय SOP (Standard Operating Procedure) के मानक अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित करेगें। Permissible Limit से अधिक आयरन/आर्सेनिक/फ्लोराईड की मात्रा पाए जाने पर फिल्टर मिडिया बदलते हुए पेयजलापूर्ति करना सुनश्चित करेंगे। इस संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

अनुपालनः–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता।

8.रोस्टरः–

❖ समीक्षा के क्रम में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि पूर्णियाँ प्रक्षेत्र अंतर्गत सभी अंचल/प्रमंडल से रोस्टर तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

अन्यान्यः–

➢ माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद के आलोक में प्रक्षेत्र अंतर्गत खुशी कन्शट्रक्सन के अपूर्ण एवं अधूरे कार्यों की समीक्षा की गई तथा इस क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं धमदाहा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 18 वार्डों (20 योजना) एवं 47 वार्डों (48 योजना) में एकरारनामा रद् कर अंतिम मापी पूर्ण कर ली गई है। वर्तमान में उक्त योजनाओं के छूटे हुए कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा के उपस्थित सहायक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि 345 वार्ड (425 योजना) का एकरारनामा रद् कर दिया गया है एवं अंतिम मापी का कार्य प्रगति में है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, अंचल, सहरसा को निदेश दिया गया कि इसका अनुश्रवण करते हुए तीन दिनों के अंदर अंतिम मापी का कार्य पूर्ण कर छूटे हुए कार्यों की निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता /संबंधित कार्यपालक अभियंता।

➢ समीक्षा के क्रम में सभी मुख्य अभियंता को अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता के कार्यालयों, सभी अधीक्षण अभियंता को अपने अधीनस्थ कार्यपालक अभियंता के कार्यालयों, सभी कार्यपालक अभियंता को अपने अधीनस्थ सहायक अभियंता के कार्यालयों एवं सभी सहायक अभियंता को अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता के कार्यालयों का औचक निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह में एक दिन करते हुए संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही, प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई की सूचना नियंत्री पदाधिकारी मुख्यालय को उपलबध करायेगें। अभियंता

प्रमुख–सह–विशेष सचिव(मु0) प्राप्त प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करेगें। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0)/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता।

- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए बैठक की कार्यवाही मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता।

- समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे पदाधिकारी जो कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं उनके ऊपर नियामनुकूल कार्रवाई एवं वैसे पदाधिकारी जिनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, उन्हें समय–समय पर सम्मानित किया जाय।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव(मुख्यालय)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांकः– 14/बैठक –102/24 – 35 दिनांक– 14/01/26

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल/सभी कनीय अभियंता(यांत्रिक सहित) बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक –102/24 – 35 दिनांक– 14/01/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/विशेष कार्य पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक–102/24–35 दिनांक– 14/01/26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक–102/24–35 दिनांक– 14/01/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)